न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः– जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः– 80 / 2016 / अपील

1 धर्मेन्द्र सिंह } पुत्रगण ओंकार सिंह समस्त जाति राजपूत
2 जगदीप सिंह } निवासीगण ग्राम बावडी तहसील खण्डेला जिला सीकर हाल आबाद
जी– 196, गली नम्बर 9, शिवमन्दिर रोड़, स्वरूप नगर, दिल्ली।

अपीलान्ट

बनाम

1 नायब तहसीलदार खण्डेला तहसील खण्डेला जिला सीकर
2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खण्डेला जिला सीकर

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 15.09.2016 न्यायालय नायब तहसीलदार खण्डेला मु.न. 09 / 2016 प्रकरण अनुवानी सरकार बनाम धर्मेन्द्र सिंह आदि

वकील अपीलांट श्री देवेन्द्र कुमार अग्रवाल

दिनांकः–29.12.2017

निर्णय

संक्षेप में तथ्य अपील इस प्रकार है कि ग्राम बावड़ी तहसील खण्डेला के
हल्का पटवारी ने दिनांक 24.06.2016 को तहसीलदार खण्डेला के समक्ष रिपोर्ट इस आशय
की प्रस्तुत की कि अपीलांटान ने ग्राम बावडी के खसरा नम्बर 1290 रकबा 0.08 है0 किस्म
गै.मु. रास्ता पर जुताई करके पुनः कब्जा कर लिया। उक्त रिपोर्ट पर नायब तहसीलदार ने
दिनांक 15.07.2016 को धारा 91 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर दिनांक
15.09.2016 को बिना किसी जांच व बिना साक्ष्य सबूत के चुनौतिग्रस्त निर्णय पारित कर
अपीलांट को धारा 91(2) एल आर एक्ट के तहत तीन माह का साधारण कारावास एवं लगान
का 50 गुणा शास्ती लगाने से दण्डित कर दिया। उक्त विवादित आराजियात की भूमि पर
अपीलांट ने कभी भी पश्चातवर्ती अतिक्रमण नहीं किया। बल्कि वास्तविक स्थिति यह है कि
राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 / 52 के निर्माण के पूर्व ग्राम बावड़ी के खसरा नम्बर 767 के
भाग के रूप में रह कर रास्ता रहा है, परन्तु राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण विवादित खसरा
नम्बर की भूमि को छोडकर किया गया, जिससे आवागमन उक्त रास्ते को छोड़कर राष्ट्रीय
राजमार्ग से होने लग गया एवं उक्त रास्ता से आवागमन स्वतः ही बन्द हो गया। आवागमन
बन्द होने से रास्ते के निशानात धीरे–धीरे समाप्त हो गये। उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में गै.
मु. रास्ता एवं बारानी तृतीय होकर सरकारी भूमि दर्ज है। उक्त रास्ता आवागमन के अभाव
में स्वतः ही बन्द होने के कारण ट्रेक्टर चलाकर घास–फूस एवं स्वतः उगे पेडो को हटाकर
रास्ते का रूप दिया था परन्तु आवागमन नहीं होने के कारण इन भूमियों की स्थिति पूर्व के
अनुसार ही वापस हो गई। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार खण्डेला ने पटवारी रिपोर्ट को
आधार बनाकर अपीलांट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर तीन माह के साधारण कारावास
की सजा का निर्णय पारित कर दिया परन्तु योग्य न्यायालय ने न तो मौके पर जाकर मौके
की वास्तविक स्थिति की जांच की, ना ही साक्ष्य लेखबद्व की एवं ना ही अपीलांट को
सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का
पश्चावर्ती अतिकमण मानकर कानूनी भूल की है, क्योंकि पश्चातवर्ती अतिक्रमण मान्य किया
जाने के लिए यह आवश्यक है कि– पूर्व में अतिकमी द्वारा अतिक्रमण किया गया हो और
उस अतिकमी का कब्जा हटा दिया हो। तत्पश्चात उसने पुनः कब्जा किया हो। परन्तु योग्य
अधिनस्थ न्यायालय ने चुनौतिग्रस्त निर्णय में पूर्व पत्रावली का सन्दर्भ मात्र दिया है परन्तु

साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं था कि अपीलांट ने काश्त करके पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित चुनौतिग्रस्त निर्णय को अपास्त किया जावे।

पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया गया व विद्वान अधिवक्ता अपीलांट को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन के आधार पर न्यायालय तहसीलदार खण्डेला द्वारा पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 19.12.2012 द्वारा अपीलांट को खसरा नम्बर 1290 वाके ग्राम बावडी में से 0.08 है0 की भूमि पर अतिक्रमण करने के सम्बंध में बेदखल किये जाने हेतु आदेश पारित किया था एवं अब पुनः अतिक्रमण करने पर चुनौतिग्रस्त आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार अपीलांट गै.मु. रास्ते की भूमि पर बार बार अतिक्रमण करने का आदि है। अधिवक्ता अपीलांट के कथन अनुसार अपीलांट का वाके ग्राम बावडी की भूमि खसरा नम्बर 1290 के किसी भी भू–भाग पर अतिक्रमण नहीं है। तहसीलदार खण्डेला से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 29.12.2017 के अनुसार मौके पर से उक्त अतिक्रमण हटा दिया गया है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में सिविल कारावास की सजा निरस्त की जाती है। शेष आदेश यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 29.12.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/12/17

(जय प्रकाश)

अति0 जिला कलक्टर, सीकर

अति. जिला कलक्टर, सीकर